



# माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय

(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)

MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM AND COMMUNICATION  
(Setup by Act No.15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्र./अका./2020/ 1172

भोपाल, दिनांक 27-11-2020

## अधिसूचना

विश्वविद्यालय में वर्तमान सत्र 2020-21 हेतु प्रथम आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा का आयोजन निम्नानुसार किया जायेगा -

1. विश्वविद्यालय द्वारा सत्र अगस्त 2020-2021 हेतु जारी अकादमिक कैलेंडर क्रमांक/अका./2020/1037 दिनांक 05-11-2020 में उल्लेखित तिथियों में आंतरिक मूल्यांकन परीक्षाएँ आयोजित की जाएगी।
2. वर्तमान कोविड -19 की परिस्थिति के चलते शासन द्वारा जारी निर्देशों के तारतम्य में उक्त परीक्षाएँ ऑनलाईन माध्यम से ही आयोजित की जाएगी।
3. समस्त पाठ्यक्रमों के विषय आधारित आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा हेतु विश्वविद्यालय के समस्त परिसरों एवं संबद्ध अध्ययन संस्थाओं में अध्यापन कार्य करवा रहे विषय शिक्षक पूर्व निर्धारित प्रारूप में प्रश्न पत्र ई मेल/अन्य सुविधाजनक माध्यमों के द्वारा निर्धारित तिथी पर प्रत्येक विद्यार्थियों को उपलब्ध करायेगें। आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा में अधिकांश प्रश्न विश्लेषणन्तमक पूछे जा सकते है।
4. निर्धारित तिथी पर विद्यार्थी प्रश्नपत्रों के आधार पर अपने निवास स्थान पर उत्तर पुस्तिका में स्वहस्ते उत्तर लिखेंगे।
5. विद्यार्थी उक्त उत्तर पुस्तिका के प्रत्येक लिखित पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर कर उत्तर पुस्तिका को स्कैन कर ई मेल अथवा स्पीड पोस्ट से परिसर के विद्यार्थी संबंधित परिसरों में एवं संबद्ध अध्ययन संस्थाओं के विद्यार्थी अपनी-अपनी संस्थाओं में विषय शिक्षक द्वारा तय की गई अवधि में अनिवार्य रूप से भेजेंगे।
6. संबंधित विषय शिक्षक विद्यार्थियों से ई मेल अथवा अन्य माध्यमों से प्राप्त उपरोक्त उत्तर पुस्तिकाओं को परीक्षा की तिथि से एक सप्ताह के भीतर विभागों में अनिवार्य रूप से जमा करेंगे। (ई मेल अथवा अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यमों से प्राप्त उत्तर पुस्तिकाएं उनका प्रिंटआउट न लेते हुए सीडी में सेव कर एवं स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्राप्त उत्तर पुस्तिकाएं यथावत विभागों में जमा होगी।)

(प्रो. (डॉ.) अविनाश वाजपेयी)  
कुलसचिव

पृ. क्र./अका./2020/ 1173

भोपाल, दिनांक 27-11-2020

प्रतिलिपि -

1. निज सचिव कुलपति, निज सहायक कुलसचिव को सूचनार्थ।
2. समस्त विभागाध्यक्षगणों एवं परिसर प्रभारियों को सूचनार्थ।
3. डीन अकादमिक को सूचनार्थ।
4. परीक्षा नियंत्रक को सूचनार्थ।
5. प्रभारी वेबसाइट को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. आदेश पुस्तिका।

(प्रो. (डॉ.) अविनाश वाजपेयी)  
कुलसचिव